# न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–12/2025 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सूरज कुमार माली पुत्र श्री गोपाल लाल पुलिस लाईन, संतोषी माता मन्दिर के पास, (राज.) माली उम्र वयस्क निवासी संतोष कॉलोनी, भीलवाड़ा
2. मनमोहन माली पुत्र श्री गोपाल लाल माली उम्र वयस्क निवासी पुलिस लाईन, संतोषी माता मन्दिर के पास, संतोष कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)
3. आकाश माली पुत्र श्री गोपाल लाल माली उम्र वयस्क निवासी पुलिस लाईन, संतोषी माता मन्दिर के पास, संतोष कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल लाल माली पुत्र श्री कन्हैया लाल माली उम्र वयस्क निवासी सब्जी मण्डी के पास, कोट मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजकुमार माली पुत्र श्री कन्हैया लाल माली उम्र वयस्क निवासी सब्जी मण्डी के पास, कोट मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रामस्वरूप माली पुत्र श्री कन्हैया लाल माली उम्र वयस्क निवासी सब्जी मण्डी के पास, कोट मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. अलोल देवी पुत्री श्री कन्हैया लाल माली पत्नी स्व. श्री मिट्ठू लाल माली उम्र वयस्क निवासी चारभुजा नाथ मन्दिर के पीछे, माणिक्य नगर, भीलवाड़ा (राज.)
5. प्यारी बाई पत्री श्री कन्हैया लाल माली पत्नी श्री रतन लाल माली उम्र वयस्क निवासी बोरदा, चन्देरिया जिला चित्तौडगढ (राज.)
6. रतनी पत्री श्री कन्हैया लाल माली पत्नी श्री श्याम लाल उम्र वयस्क निवासी ग्यारस माता मन्दिर के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
7. तहसीलदार, तहसील कार्यालय भीलवाडा (राज)
8. पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा (राज)

– विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा**

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री हनुमान सिंह राणावतः– प्रार्थी

दिनांकः–21/9/2025

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह राणावत द्वारा दिनांक 06.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 12/2025 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से उक्त उनवान का एक वादपत्र न्यायालय आप श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो ठोस आधारों पर होने से अवश्य ही प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार होगा।

21/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के पुत्र होकर विपक्षी संख्या 1 के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 की पुश्तैनी कृषि भूमि राजस्व ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 224 में आराजी संख्या 1953, 1972, 6351, 6352, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6368, 6369, 6370 कुल किता 12 कुल रकबा 1.2268 हैक्टयर स्थित है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है:–

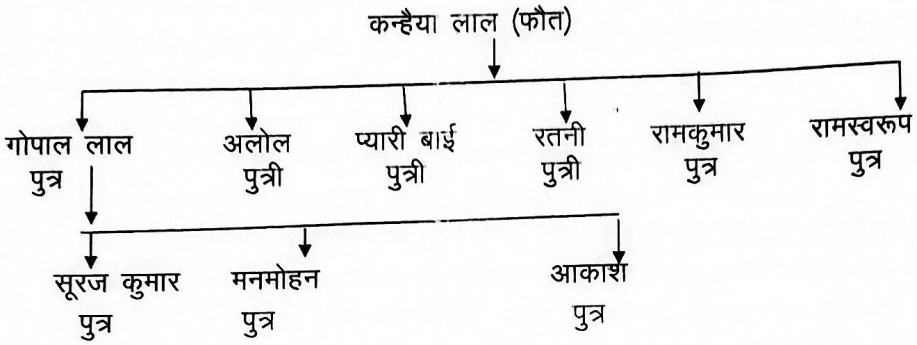


उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा कन्हैया लाल पुत्र श्री देवा जी माली के देवासान के बाद राजस्व रेकॉर्ड में उक्त सजरे अनुसार दर्ज हुई है जिसमें हम प्रार्थीगण का भी जन्म से ही हक हिस्सा व अधिकार है।

विपक्षी संख्या 01 जो कि हम प्रार्थीगण के जाईन्दा पिता है अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर एवं गलत प्रवृतियों में लिप्त होने से हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से से महरूम करने की गरज से अपने हक हिस्से को बेचने पर आमादा है। विपक्षी संख्या 01 को अकेले अपने हक हिस्से की भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही है क्योकि हम प्रार्थीगण स्व. कन्हैया लाल के पौत्र होकर उक्त भूमि में जन्म से ही हक अधिकार रखते है। इस कारण प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 01 की उक्त आराजीयात के 1/6 हक हिस्से में प्रार्थीगण को 1/8 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस अनुसार विभाजन करा राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

विपक्षी संख्या 01 अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर एवं गलत प्रवृतियों में लिप्त होने से हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से से महरूम करना चाहता है इस कारण विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विपक्षी संख्या 01 उक्त आराजीयात में निहित प्रार्थीगण के हक हिस्से को किसी अन्य को विकय, रहन, भारित या हस्तान्तरित नही करे एवं मोके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी संख्या 07 उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी के पक्ष में नही खोले।

29/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी संख्या 01 उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से को खुर्द बुर्द कर विक्रय, रहन, भारित व अन्तरण कर देगा। जिससे प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि से महरूम हो जायेगें और प्रार्थीगण को काफी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। इस कारण न्यायहित में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 01 उक्त आराजीयात में निहित प्रार्थीगण के हक हिस्से को किसी अन्य को विक्रय, रहन, भारित या हस्तान्तरित नहीं करे एवं मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी संख्या 07 उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी के पक्ष में नहीं खोले एवं विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजीयात के विक्रय, हस्तान्तरण के सम्बंध में कोई दस्तावेज विपक्षी संख्या 08 के यहां प्रस्तुत किया जाता है तो विपक्षी संख्या 08 उक्त आराजीयात के सम्बंध में किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे।

प्रार्थनापत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से यह प्रार्थनापत्र उचित न्यायशुल्क पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः यह प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 01 उक्त आराजीयात में निहित प्रार्थीगण के हक हिस्से को किसी अन्य को विक्रय, रहन, भारित या हस्तान्तरित नही करे एवं मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी संख्या 07 उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी के पक्ष में नहीं खोले एवं विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजीयात के विक्रय, हस्तान्तरण के सम्बंध में कोई दस्तावेज विपक्षी संख्या 08 के यहां प्रस्तुत किया जाता है तो विपक्षी संख्या 08 उक्त आराजीयात के सम्बंध में किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे। दौराने वादपत्र यदि विपक्षीगण द्वारा ऐसा कर दिया जाता है तो पूर्व की स्थिति बहाल रखाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक हैः—

**1. प्रथम दृष्टया मामलाः—**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पुर की सम्वत् 2069—73 की जमाबन्दी में आराजी संख्या 1953, 1972, 6351, 6352, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6368, 6369, 6370 कुल किता 12 कुल रकबा 1.2268 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 की पुश्तैनी कृषि भूमि होकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज है। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगण के पिता है जो अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर एवं गलत प्रवृतियों में लिप्त होने से प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से महरूम करने की गरज से उनके हक हिस्से को बेचने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 01 की उक्त आराजीयात के 1/6 हक हिस्से में प्रार्थीगण को कुल हक हिस्से के 3/24 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस अनुसार विभाजन करा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है।

29/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 की पुश्तैनी कृषि आराजियात है जो विपक्षी संख्या 01 को उसके पिता कन्हैयालाल पिता देवा माली से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। जिससे प्रार्थीगण के विपक्षी संख्या 01 के वारिस होने से वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही अपना हक हिस्सा रखते है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है।

**2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षति–**

उक्त दोनों बिन्दुओं का पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि यदि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण का जाईन्दा पिता है जो अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर एवं गलत प्रवृतियों में लिप्त होने से प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से महरूम करना चाहता है। इस कारण विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विपक्षी संख्या 01 उक्त आराजीयात में निहित प्रार्थीगण के हक हिस्से को किसी अन्य को विक्रय, रहन, भारित या हस्तान्तरित नही करे एवं मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी संख्या 07 उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी के पक्ष में नही खोले। यदि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण जरिये बय बेचान, रहन, बक्षीश कर दी जाती है तो नवीन वादकारण उत्पन्न होंगे और वाद विवाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.05.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किये जाने का आदेश जारी किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण कर दिया जाता है तो नवीन वादकारण उत्पन्न होगे और न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि नवीन वादकारणों को उत्पन्न होने से रोका जाए तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय, रहन, भारित या हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रमाणित करने में सफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहे है। न्यायालय का यह दायित्व है कि वादग्रस्त भूमि का दौराने वाद अंतरण नहीं होने दे तथा नवीन वादकारण को रोकने हेतु उचित कार्यवाही करे। न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक दायित्व की पूर्ति किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.05.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

**–: आदेश :–**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.05.2025 को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

20/5/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलेक्टर

भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर

भीलवाड़ा